

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर

File No.:RULE-3017/2/2025-GAD-6

नवा रायपुर, दिनांक 25 जून, 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़।

विषय:—स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के संबंध में।

संदर्भ:—विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.06.2025.

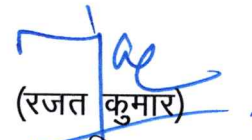
—000—

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.06.2025 द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध को दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून, 2025 तक शिथिल किया गया है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि में संशोधन करते हुए दिनांक 30 जून 2025 तक निर्धारित करता है।

2/ उक्त निर्धारित तिथि में संशोधन के फलस्वरूप जिला स्तर / शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को दिनांक 30 जून 2025 तक संबंधित जिला/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे।

3/ स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी। कृपया उपरोक्त संशोधन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रजत कुमार)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

//2//

File No.:RULE-3017/2/2025-GAD-6

नवा रायपुर, दिनांक 25 जून, 2025

प्रतिलिपि:—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर छत्तीसगढ़
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर.
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन समस्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
7. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर,
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
10. महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
11. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
12. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
13. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन छत्तीसगढ़
15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी छत्तीसगढ़
16. संचालक, जनसम्पर्क, नवा रायपुर
17. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एन.आई.सी. मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट [www. gad.cg.gov.in](http://www.gad.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग